



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 166063

(प्रारूप-अ)

24 406 2023

सत्र—2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोगा इन फार्मेसी संस्थानों की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम संदीप कुमार यादव एवं रामधीरत सिंह यादव क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव राष्ट्रीय जनसेवा संस्थान शपथपूर्वक निम्नलिखित घोषणा करते हैं कि—

- यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा मॉ स्वरूपा देवी कालेज ऑफ फार्मेसी, ग्राम-सरौंय बहादुर, पोर्ट-शाहबाजकुली, ब्लाक प तहसील-मोहम्मदाबाद, जिला-गाजीपुर, ३०२४० नामक लिप्तोगा इस फार्मरी संस्थान की स्थापना २०२३-२४ से किया जाना प्रस्तावित है।
 - यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम पता ग्राम-सरौंय बहादुर, पोर्ट-शाहबाजकुली, ब्लाकतहसील-मोहम्मदाबाद, जिला-गाजीपुर, ३०२४० में २०२.२०५.१८६.१८ एवं ०.८६२ हेक्टेयर भूमि है।
 - यह कि हमारी उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि गारंटी दिया गया है।

ATTESTED
Sworn & Verified
Before Me,
Kartikay Khandwala

Lucknow, **105**, **INDIA** की भूमि पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ॲफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही Date: १०५/१०५/२०२४ फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रयोगशाला के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्भित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और नहीं भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कलास रुम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/द्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलि-भालि पालन करेंगा। यह कि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थिरीय निशेषण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है, तो परिषद की निशेषण एवं सम्बद्धता में निर्णय द्वाजा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
13. मेरा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्व रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियन्त्रित कानून संगत कार्यवाही की जायेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



Reingh

हॉ सचिव
Chairman/Secretary
Rastrya Jansewa Santhan
Ghazipur

Sandeep

हॉ अध्यक्ष
Chairman/Secretary
Rastrya Jansewa Santhan
Ghazipur

ATTESTED
Sworn & Verified
Before Me.
Kartikay Kumar Singh
(Advocate)
NOVARK

Lucknow (U.P.) INDIA
Date: ११/०९/२०२३.....

I know and identify the deponent who has signed put T.I. before me.